



सम्पादकीय

विनोबा जयंती 11 सितंबर

भारतीय संस्कृति में इच्छामृत्यु और विनोबा का ब्रह्मनिर्वाण

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

विगत दिनों जैन धर्म की मान्यताओं में शामिल संथारा को लेकर आंदोलन किए गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या की श्रेणी में रखकर इस पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सृजे जारी किया है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन तीन सौ छः और तीन सौ नौ आत्महत्या से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनके बारे में अलग-अलग केसेस में कभी पक्ष में अथवा विपक्ष में निर्णय दिए हैं। क्योंकि मृत्युदान और इच्छा मृत्यु ये दो श्रेणियां आत्महत्या नहीं हैं। इन दिनों जोरदार मांग हो रही है कि करुणा प्रेरित मृत्यु-दान दंडनीय अपराध न माना जाए, क्योंकि जैसे हरेक को जीने का अधिकार है वैसे ही जीवन का गौरवपूर्ण अंत करने का अधिकार होना चाहिए। करुणा प्रेरित मृत्यु दान के बारे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने सात मार्च दो हजार ग्यारह को ऐतिहासिक निर्णय दिया है। नैतिकता, मानवीय संबंध और कानून को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष मृत्युदान को गैरकानूनी बताया है। इसमें मरणासन्न मरीज को मृत्यु के लिए अलग से ड्रग्स अथवा इंजेक्शन आदि देकर प्रत्यक्ष सहयोग दिया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष मृत्युदान को न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। इसमें मरणासन्न मरीज के शरीर से जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली जाती है ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसके पहले हाई कोर्ट के कम से कम दो न्यायाधीश, तीन विशेषज्ञ चिकित्सक की समिति मरणासन्न मरीज

के निकट संबंधी और प्रादेशिक सरकार की राय जानने के बाद ही मंजूरी दी जा सकेगी। आजादी आंदोलन के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही और भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे ने भी इच्छा मृत्यु का वरण करते हुए सात दिन तक बिना आहार पानी लिए अपनी देह त्यागी थी। इसके पहले विनोबा ने अपने जन्मदिन 11 सितंबर 1981 को कहा, “बाबा आज छियासी वर्ष का हो गया। तो क्या सोचता है ? यह देह काल के कब्जे में है। उससे चिपके रहने में कौन सी मिठास है। आज बाबा का जन्मदिन है इसलिए आपने शांति रखी है। वैसी बाबा की मृत्यु क दिन भी शांति रखिए। मुझे अब करने का कुछ नहीं रहा। इसलिए मैंने किताब पर लिख रखा है उसका कर्तव्य समाप्त हुआ। इस वास्ते प्रारब्ध-क्षय की राह देखते हुए मेरी दिनभर यह कोशिश रहती है कि केवल ‘रामहरि’ का निरंतर स्मरण करता रहूं। अब कोई कार्य शेष नहीं है। रात को भगवान की गोद में सो जाना है। रात को भगवान मेरी चेतना को मिटा देगा तो मैं प्रसन्नता से राम-हरि का स्मरण करते हुए मर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। यही मेरा निरंतर चलता है। जब विनोबा जी ने अपने सेवकों से पूछा कि बाबा सित्यासी साल का कब होगा तो सेवकों ने कहा दस महिना दस दिन के बाद। जब सेवकों ने इसका आशय जानने की कोशिश की तो विनोबा ने कबीर के भजन से जवाब दिया ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया।’ बाबा भी यही



चाहता है। विनोबा जी ने 8 नवंबर 1982 की रात्रि से आहार इत्यादि लेना बंद कर दिया था। 15 नवंबर 1982 को प्रातः 9:30 बजे दीपावली पर विनोबा ने अपनी देह का त्याग किया। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विनोबा जी को आहार इत्यादि लेने के लिए मनाने का प्रयत्न किया, परंतु विनोबा ने इंकार कर दिया। विनोबा की भूमिका यह थी कि जब तक बिना किसी विशेष प्रयास के शरीर रहता है तो रहे, अगर उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है तो उसे न रखा जाए। विनोबा जी ने अपने सेवकों से कहा था कि बाबा घड़ी देखे बिना मरेगा भी नहीं। अगर रास्ते में कहीं ठोकर खाकर मर गया तो अलग बात है। नहीं तो घड़ी देखूंगा, बारह बजकर सात मिनट हुए हैं, मैं अब मर रहा हूं। प्राण निकलने में कितना समय लगा यह देखूंगा।' इस कथन के अनुसार विनोबा की जीवन ज्योति निश्चित तिथि और समय पर विलीन हुई।

इच्छा मृत्यु या आत्मकल्याणार्थ देह विसर्जन यह विशेष श्रेणी है। इसलिए वह कानून के दायरे से बाहर है। भारतीय संस्कृति में इच्छामृत्यु का एक स्वरूप पहले से विद्यमान है। हिंदू धर्म में समाधि लेने या कल्पवास की परंपरा और जैन धर्म में संथारा की परंपरा इच्छामृत्यु का ही एक रूप है। जैन दर्शन में संल्लेखना सूत्र में कहा गया है - पंडित मरण अर्थात् ज्ञानपूर्वक मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है। ऐसा मरना चाहिए, जिससे मरण सु-मरण हो जाए। आगे कहा है शीघ्र ही अनंत मरण का, बार-बार मरण का अंत कर देता है। यानी मोक्ष प्राप्त होता है। जब जीवन तथा देह से लाभ होता हुआ दिखाई न दे तो परिज्ञानपूर्वक शरीर का त्याग कर दें। मृत्यु के छः प्रकार संभावित हैं: स्वाभाविक मृत्यु -

वृद्धावस्था या हृदयगति एकाएक रुक जाना या असाध्य बीमारी के कारण, देश, धर्म, संस्कृति के रक्षणार्थ बलिदान, अपघाती आकस्मिक मृत्यु, मानसिक आवेगों से की गयी आत्महत्या, करुणा प्रेरित मृत्यु-दान, जिसे शास्त्रीय भाषा में यूथनेसिया कहते हैं, इच्छा-मृत्यु या आत्मकल्याणार्थ देह-विसर्जन। इन छः प्रकारों से भिन्न ब्रह्मनिर्वाण की श्रेणी है। आध्यात्मिक जीवन साधना की दृष्टि से ब्रह्मनिर्वाण की श्रेणी समाधि या संथारा की विधि से भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। संथारा आध्यात्मिक साधना क्रम की विधि है, लेकिन ब्रह्मनिर्वाण की विधि नहीं होती। ब्रह्मनिर्वाण का न संकल्प होता है, न इच्छा होती है। न उसके लिए अलग से विशेष प्रयत्न करना होता है। परिपक्व फल डंठल से जैसे सहजता से अलग हो जाता है वैसे देह आत्मतत्त्व से अलग हो जाती है। ब्रह्मनिर्वाण स्थितप्रज्ञ पुरुष की अनाकलनीय अद्भुत स्थिति है।